सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

विषय : उत्तराखण्ड के नगर निकायों की सफाई संबंधी कार्यप्रणाली में मूलभूत सुधार हेतु शिकायत/सुझाव

महोदय,

उत्तराखण्ड के पर्यावरण को स्वच्छ तथा स्वास्थ्य अनुकूल तथा प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये उत्तराखण्ड के नगर निकायों की सफाई संबंधी कार्यप्रणाली में मूलभूत सुधार करना आवश्यक है। वर्तमान में उत्तराखण्ड के नगर निकायों की कार्यप्रणाली के विभिन्न कार्य म्युनिसपल सोलिड वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैडलिंग) रूल्स 2026 (01 अप्रैल 2026 से पहले लागू रूल्स 2016) का खुला उल्लंघन होने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्य उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत पांच हजार रूपये तक के जुर्माने तथा छः माह तक की सजा से दंडनीय अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

उत्तराखण्ड के पर्यावरण को स्वच्छ तथा स्वास्थ्य अनुकूल तथा प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये नगर निकायों की सफाई संबंधी कार्य प्रणाली में निम्न कमियों को दूर करके उसमें सुधार किया जाना सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक हैः–

1– कूड़ा सड़क पर डालने पर रोक : म्युनिसपल सॉलिड वेस्ट नियम तथा उत्तराखंड कूड़ा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में निगम के पर्यावरण मित्रों द्वारा अधिकतर शहरों में विभिन्न स्थानों की सड़कों पर खुले में कूड़ा एकत्र किया जाता है जो दोपहर तक पड़ा रहता है। इसके बाद इसे पर्यावरण मित्रों द्वारा अत्यन्त अमानवीय तरीके से सिर व बगल में रखकर मैला ढोते हुये बड़े वाहनों में सभी कूड़ा एक साथ मिलाकर फेंका जाता है। इस प्रकार कूड़ा व मैला उठवाना स्वयं उत्तराखंड में लागू उ0प्र0 सफाई मजदूर संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इसमें सुधार के लिये वाहन से वाहन में कूड़ा स्थानांतरण की व्यवस्था की जानी चाहिये। किसी भी सार्वजनिक स्थान व सड़क पर कूड़ा नहीं डाला जाना चाहिये।

2– झाड़ू लगाने में कूड़ा नालियों में डालने पर रोक : विभिन्न नगर निकायों में पर्यावरण मित्रों द्वारा सड़कों की सफाई झाड़ू से करने पर इससे निकला कूड़ा नालियों में डाल दिया जाता है। फिर दूसरे पर्यावरण मित्र द्वारा उसे निकालकर पुनः सड़क पर डाला जाता है, तीसरे पर्यावरण मित्र द्वारा उसे उठाकर ले जाया जाता है। इसके चलते जहां गंदगी होती है वही इस कूड़े का बड़ा भाग नालियों में रह जाता है। इस व्यवस्था को सुधारकर झाड़ू लगाने वाले पर्यावरण मित्र द्वारा एकत्र करके कूड़ा जैविक व अजैविक छांटने के उपरान्त सीधे ठेले/हाथ वाहन में डालने की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा नाली में कूड़ा डालने पर पूर्णतः रोक लगायी जानी चाहिये। इसके लिये आधुनिक यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

3–घरों से कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था :– काशीपुर सहित विभिन्न नगर क्षेत्र में वर्तमान में संचालित डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्र व्यवस्था न होकर चलते फिरते कूड़े दानों की व्यवस्था है उसकी भी स्पीड अत्याधिक है तथा यह वाहन प्रदूषण करने के साथ–साथ जाम लगाते है और इसका लाभ अधिकतर निवासी नहीं उठा पाते है। इन वाहनों की ऊंचाई अधिक होने तथा कूड़ा लेने वाला कर्मचारी पांच फिट ऊपर खड़ा होने से महिलाओं आदि को अत्याधिक असुविधा होती है। चौड़ी गलियों में यह वाहन जाम लगाते है तथा अधिक कम चौड़ी गलियों में जा ही नहीं पाते हैं। इसके लिये प्रत्येक घर की घंटी/सीटी बजाकर कर्मचारी द्वारा कूड़ा लेने की व्यवस्था होनी चाहिये। इससे निवासीगण गाड़ी का समय होने पर कूड़ेदानों को लौटने के लिये दरवाजे पर रख देंगे जिससे इस योजना का लाभ प्रत्येक घर को मिल सकेगा तथा नगर स्वच्छ हो सकेगा। अब वर्तमान में इन वाहनों के रूप में चलते फिरते कूड़ेदानों की व्यवस्था के चलते यह डोर टू डोर कलैक्शन नहीं है और इसका शुल्क लेना उपभोक्ता सेवा में कमी है जिसका मुआवजा कोई भी नागरिक उपभोक्ता आयोग की शरण लेकर नगर निगम से वसूल

सकता है।

4– पर्यावरण मित्रों को दस्ताने आदि की समुचित व्यवस्थाः– पर्यावरण मित्रों (सफाई कर्मियों) को कूड़ा उठाने व छांटने के लिये आवश्यक यन्त्र, सामान व इसके लिये अनिवार्य रूप से दस्ताने आदि उपलब्ध कराने चाहिये तथा उनका प्रयोग करना सुनिश्चित कराया जाना चाहिये। ताकि कूड़े का पूर्ण एकत्रीकरण तथा पृथक्कीकरण किया जाना सुनिश्चित हो सके।

5– राहगीरों के लिये कूड़ेदानों की व्यवस्था :– जनजागरूकता अभियान के सफल होने में सबसे बड़ी बाधा नगर निगम द्वारा राहगीरों के लिये कूड़ेदानों की व्यवस्था न होना है। सफाई अभियान के अन्तर्गत स्वयं सेवियों को तथा जागरूकता किये गये नागरिकों को स्वयं साफ किये गये कूड़े के निस्तारण में कठिनाई सामने आती है। अंततः उनके द्वारा सड़कों से कूड़ा एकत्र करके दूसरे स्थान पर फेंककर कूड़ा अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध ही किया जाता है। इसलिये प्रत्येक सड़क पर जैविक व अजैविक सहित चारों प्रकार के कूड़े हेतु कूड़ेदानों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। जिन क्षेत्रों में नगर निगम जागरूकता अभियान आयोजित करें या अन्य स्वयं सेवी आयोजित करें उनमें पहले कूड़ेदान अवश्य स्थापित कर दिये जायें। इन कूड़ेदानों से नियमित रूप से कूड़ा उठाने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जानी चाहिये।

6– जैविक तथा अजैविक सहित वारों प्रकार का कूड़ा पृथक्कीकरण की व्यवस्था :– सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम के अन्तर्गत जैविक तथा अजैविक, स्वस्थकर तथा विशेश देखभाल वाले कूड़े को अलग–अलग करने व उसका निस्तारण करने पर विशेष बल दिया गया है। इससे कूड़े से होने वाला प्रदूषण समाप्त हो जायेगा और स्वच्छता अभियान में भी इसके लिये जागरूक किया जाना है। इससे एक ओर तो कूड़ा आसानी से निस्तारित होगा, वही चारों ही प्रकार के कूड़े से निगम को आय प्राप्त हो जायेगी। इसके लिये बिना अतिरिक्त साधन लगाये निम्न व्यवस्था तुरन्त लागू की जा सकती है:–

6.1–घरों आदि से कूड़ा एकत्र करते समय ही कूड़े को अलग–अलग करके गाड़ी में डालना तथा कूड़ा अलग–अलग करके देने को प्रोत्साहित किया जाये।

6.2– सड़क पर सफाई से निकलने वाले कूड़े को भी पर्यावरण मित्र द्वारा अलग–अलग छांटकर अलग–अलग ठेलों या एक ही ठेले में सूखे कूड़े , स्वस्थकर तथा विशेष देखभाल वाले कूड़े हेतु रखे कट्टे में रखा जाना चाहिये जिसे आगे बड़े वाहन के कट्टो में लौट दिया जाना चाहिये।

6.3– नाले नालियों में से निकले कूड़े को भी पृथक करने की व्यवस्था उसी स्थान पर की जानी चाहिये। इसके लिये माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पर्यावरण मित्रों को दस्ताने दिये जाने चाहिये।

6.4– पुनः चक्रण योग्य कूड़े की नीलामी की साप्ताहिक रूप से व्यवसथा की जानी चाहिये और इससे प्राप्त आय को कूड़े के छोटे वाहनों, कूड़े दानों, आटो मैटिक व आधुनिक सफाई यंत्रों आदि की खरीद में लगाया जाना चाहिये।

7– कूड़ा फेंकने के लिये खुले वाहन व वाहनों के मार्ग में कूड़ा गिराने पर रोक : सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स के अनुसार कूड़ा खुले वाहनों में परिवहन नहीं किया जा सकता है इससे भी प्रदुषण होता है। इसके अतिरिक्त निगम के विभिन्न कूडा परिवहन करने वाले वाहन सड़कों पर कूड़ा गिराते हुये जाते है जो उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना व थूकना अधिनियम के अन्तर्गत अपराधिक कृत्य है। इसके लिये निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इन कृत्यों पर रोक लगाया जाना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

8– सार्वजनिक शौचालयों की समुचित व्यवस्था : सार्वजनिक स्थानों व नालियों में व खुले में मल मूत्र करने पर रोक लगाने के लिये नगर निगम के प्रत्येक क्षेत्र, विशेष रूप में बाजार क्षेत्रों में समुचित संख्या में सार्वजनिक शौचालयों व पेशाबघरों की व्यवस्था तथा उनके उचित रखरखाव की व्यवस्था करना, निगम या सरकारी सहायता से बने इन पेशाबघरों व शोचालयों में सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिये। प्राइवेट व अन्य संस्थाओं द्वारा बने शौचालयों सुविधायें मुनासिब दरों पर उपलब्ध होना सुनिश्चित कराने के लिये अधिकतम शुल्क नगर निगम द्वारा नियत किया जाना चाहिये।

9– कूड़ा फेंकने व गंदगी फैलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही : उक्त व्यवस्थायें करने के उपरान्त भी सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने व थूकने, मल मूत्र करने तथा निर्माण सामग्री

अप्रयोज्य वाहन आदि रखने वालों के विरूद्ध उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके लिये भी निम्न प्रक्रिया अपनायी जा सकती है :–

9.1– पर्यावरण मित्रों को कूड़ा फेंकने, गंदगी फैलाने, सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण सामग्री रखने वालों की सूचना अपने नायक को देने तथा नायक द्वारा सफाई निरीक्षक को देने की व्यवस्था होनी चाहिये। सफाई निरीक्षक द्वारा कूड़ा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत कूड़ा न फेंकने तथा एकत्र कूड़े व सामग्री को उचित रखरखाव स्थल पर स्थानांतरित करने का आदेश देना चाहिये।

9.2– कूड़ा फेंकना न रोकने व कूड़ा न हटाने पर धारा 4 के अपराध की कार्यवाही करते हुये धारा 10 का अपराध शमन का प्रस्ताव देकर दो सौ रू0. से पांच सौ तक जमा करने को कहना चाहिये ऐसा न करने पर मुकदमा चलाने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

9.3– घरों के दरवाजे से कूड़ा एकत्र करने की पूर्ण व्यवस्था होने पर जिस घर द्वारा लगातार कूड़ा न दिया जाये उसके मालिक /निवासी को भी नोटिस देकर कूड़ा निस्तारण के सम्बन्ध ा में पूछा जाना चाहिये और युक्तियुक्त उत्तर न प्राप्त होने पर उसके विरूद्ध भी धारा 4 व 10 की कार्यवाही की जानी चाहिये।

10– सफाई संबंधी सूचनायें 48 घंटे में उपलब्ध कराने की अनिवार्य व्यवस्था : स्वच्छता अभियान का राष्ट्रीय नारा है ''गंदगी जानलेवा है, सफाई ही सेवा है।'' इसलिये सफाई संबंधी सभी सूचनायें जीवन से संबंधित है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के परन्तुक के अन्तर्गत ऐसी सूचनायें 48 घंटे में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि माननीय उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपील सं. 917 में जारी गाइडलाइन के अनुसार ऐसी सूचनाओं के संबंध ा में की गयी प्रथम अपील का निस्तारण भी अधिकतम 48 धंटे में किया जाना चाहिये। ऐसी सूचनायें जनता को 48 घंटे में उपलब्ध होने से जवाबदेही तय होने के साथ साथ स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रार्थना

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि उत्तराखण्ड के पर्यावरण को स्वच्छ तथा स्वास्थ्य अनुकूल तथा प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये उत्तराखण्ड के नगर निकायों की सफाई संबंधी कार्यप्रणाली में मूलभूत सुध ाार कराने के उक्त सुझावों/शिकायत पर यथाशीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी/ शिकायतकर्ताः

दिनांकः 18.06.2026

नदीम उद्दीन (एडवोकेट)
सी.एस.जी.एम.,एल,एल,एम.
सूचना अधिकार व मानवाधिकार कार्यकर्ता, समाजसेवी, लेखक, सम्पादक
कार्यालयः जसपुर बस स्टैंड के पास, मुरादाबाद रोड, काशीपुर
मोबाइल/व्हाटस एपः 9917172347 ई–मेलः nadimadvocate@gmail.com